

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.1 (III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं हैदर अली जैदी, पुलिस उपायुक्त, यातायात, जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की 75वीं बैठक के निर्णयानुसार जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में यात्री परिवहन सेवा के उपयोग में ली जा रही बसों के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर पार्किंग हेतु अनुसूची में अंकित स्थानों से संचालित करने हेतु अनुसूची में अंकित निम्न स्थलों को एतद्वारा पूर्णतया पार्किंग स्थल अभिहित (Designate) करता हूँ :-

अनुसूची

यात्री परिवहन सेवा के उपयोग में ली जा रही बसों हेतु पार्किंग स्टेण्डों के सम्बन्ध में सूची-

क्र.सं.	पार्किंग स्थान का नाम	बसों का प्रकार
1.	न्यू आतिश मार्केट (गूजर की थडी) गेट नं. 2 दक्षिण साईड	राजस्थान लोक परिवहन सेवा बस
2.	न्यू आतिश मार्केट (गूजर की थडी) गेट नं. 1 उत्तर साईड	रोडवेज द्वारा उपनगरीय/नगरीय बसों के नये टर्निमल के तहत संचालन
3.	विवेक विहार गेट नं. 1 उत्तर साईड	परिवहन विभाग से अनुमोदित इन्टरस्टेट एवं इन्ट्रास्टेट कान्ट्रेक्ट कैरीज बस
4.	रामनगर (सोडाला) का गेट नम्बर 1	परिवहन विभाग से अनुमोदित इन्टरस्टेट एवं इन्ट्रास्टेट कान्ट्रेक्ट कैरीज बस

नोट :- यह अधिसूचना जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन की अनापत्ति शर्तों के पालन करते हुए, राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगी ।

(हैदर अली जैदी)
पुलिस उपायुक्त
यातायात जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति. महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर ।
4. शासन उप सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अति. पुलिस आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) आयुक्तालय, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर।
8. सीएमडी, जेएमआरसी जयपुर
9. निदेशक (परिचालन एवं प्रणाली), जेएमआरसी जयपुर।
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
11. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्राणलय, जयपुर को उपरोक्त अधिसूचना की दो प्रति प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाकर दो प्रति इस कार्यालय में भिजवायें।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर ।
14. गार्ड पत्रावली।
15. सूचनापट्ट

(हैदर अली जैदी)
पुलिस उपायुक्त
यातायात जयपुर

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.58 (I) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हैदर अली जैदी, पुलिस उपायुक्त, यातायात, जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की 75वीं बैठक के निर्णयानुसार जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में यात्री परिवहन सेवा के उपयोग में ली जा रही बसों के लिए अनुसूची में अंकित स्थानों से संचालित करने हेतु सवारियों को चढ़ाने एवं उतारने हेतु निम्नांकित अनुसूची में अंकित सील एवं ठहरने के स्थान (स्टेण्डस) एतद्वारा निर्धारित करता हूँ, तथा यह अपेक्षा करता हूँ, कि परिवहन सेवा के उपयोग में ली जा रही बसों के चालकों द्वारा केवल निम्नांकित अनुसूची में अंकित स्थानों एवं ठहरने के स्थानों पर ही सवारियों उतारने एवं चढ़ाने हेतु उपयोग में लिया जायेगा :-

अनुसूची

यात्री परिवहन सेवा के उपयोग में ली जा रही बसों हेतु चढ़ाने व उतारने के स्टेण्डों के सम्बन्ध में सूची-


क्र.सं.	स्टेण्डस	बसों का प्रकार
1.	न्यू आतिश मार्केट (गूजर की थडी) गेट नं. 2 दक्षिण साईड	राजस्थान लोक परिवहन सेवा बस
2.	न्यू आतिश मार्केट (गूजर की थडी) गेट नं. 1 उत्तर साईड	रोडवेज द्वारा उपनगरीय/नगरीय बसों के नये टर्निमल के तहत संचालन
3.	विवेक विहार गेट नं. 1 उत्तर साईड	परिवहन विभाग से अनुमोदित इन्टरस्टेट एवं इन्ट्रास्टेट कान्ट्रेक्ट कैरीज बस
4.	रामनगर (सोडाला) का गेट नम्बर 1	परिवहन विभाग से अनुमोदित इन्टरस्टेट एवं इन्ट्रास्टेट कान्ट्रेक्ट कैरीज बस

नोट :- यह अधिसूचना जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन की अनापत्ति शर्तों के पालन करते हुए, राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगी ।

(हैदर अली जैदी)
 पुलिस उपायुक्त
 यातायात जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति. महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर ।
3. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर ।
4. शासन उप सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. अति. पुलिस आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) आयुक्तालय, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, जयपुर ।
8. सीएमडी, जेएमआरसी जयपुर ।
9. निदेशक (परिचालन एवं प्रणाली), जेएमआरसी जयपुर ।
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
11. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर ।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्राणलय, जयपुर को उपरोक्त अधिसूचना की दो प्रति प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाकर दो प्रति इस कार्यालय में भिजवायें ।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर ।
14. गार्ड पत्रावली ।
15. सूचनापट्ट


 पुलिस उपायुक्त
 यातायात जयपुर